



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./06/51/2025/एफ.सी.

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद-पिथौरागढ़ के अंतर्गत तहसील मुंसियारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/47308/2020).

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2740/12-1:

देहरादून: दिनांक 17.05.2025 (received online on 29.05.2025).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.04.2025 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. Trees enumeration has been done in year 2019 (about 7 years ago). So, a revised tree enumeration list as per current scenario is required to be submitted.
2. As per the Google Earth view and their timeline, it is observed that the CA area situated at steep slope (more than 60 degree). Hence, the DFO shall re-inspect the CA area and submit status of suitability of the CA area.
3. If the CA area is not found suitable, then the CA area shall be changed or a plantation scheme of additional 19.80 ha over PF/RF with all relevant documents shall be submitted.
4. Alternative alignments of proposed road (in KML file) with comparative statement shall be submitted.
5. The proposed diversion is 6.05 km away from Askot Wild-Life Sanctuary. Wildlife management plan & SMC work plan are required to be submitted along with comments of Chief wildlife warden.
6. As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.01 ha instead of 4.95 ha. It shall be rectified.
7. The Site inspection report of DFO in revised format is required.

8. KML file of muck dumping site required to be submitted.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।